राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1999/2010/उदयपुर
2. अपील संख्या 2000/2010/उदयपुर

मैसर्स भगवती एग्रो इण्डस्ट्रीज, नवानिया
उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त अपील्स, (वाणिज्यिक कर विभाग),
उदयपुर .....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 01.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होनें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 85 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम) कहा जायेगा की धारा 9 के अन्तर्गत पारित किये गये पृथक–पृथक अपील आदेश दिनांक 14.03.2007 के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। निम्न तालिका के अनुसार कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

अपील संख्या	वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज	योग
62/RST/2007-08	2004-05	56367	112734	16910	186011
63/CST/2007-08	2004-05	157468	314936	47240	699161

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. इन प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी को उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में हल्दी,धनियॉ, मिर्च, पाउडर, अजवाईन प्रासेसिंग तथा मेहन्दी पाउडर के उद्यमी के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जारी किये गये अभिशंषा पत्रामें में अपीलार्थी व्यवहारी को अनाज दाल प्रबोधन (मसाला पिसाई) उद्योग के रूप में पंजीकृत करते हुए कर मुक्ति की अभिशंषा की गई है, जिससे अभिप्रेत है कि उसे प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में स्वीकार गया है ना कि निर्माणकर्ता और अपीलार्थी द्वारा अनाज दालों का प्रोसेसिंग कार्य किया जाना। सशक्त अधिकारी द्वारा ने अजवाईन की बिक्री पर पर करारोपण,

ब्याज एवं शास्ति का आरोपण यह मानकर किया है कि उसके द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से अजवाईन क्रय की जाकर सीधी बेच दी गई है। सशक्त अधिकारी द्वारा इस प्रकार आरोपित किये गये कर,शास्त ब्याज को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई अजवाईन का सीधे विक्रय किया गया है अथवा उसकी प्रोसेसिंग की गई का प्रमाण पत्र/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने नियमानुसार जांच करने के पश्चात पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2010 स्पीकिंग आदेश नहीं है और प्रथमतः सशक्त अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से क्षेत्राधिकारी ग्रहण किये जाने पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है क्योंकि कर निर्धारण के समय समस्त जांच करने के पश्चात यह पाया गया था कि किसी नई सामग्री का उत्पादन नहीं किया गया है, तब सशक्त अधिकारी द्वारा कर दायित्व निर्धारित किया जाना अनुचित है। उनका कथन है कि उक्त विधिक तथ्य पर बिना निष्कर्ष दिये प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना अनुचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी के प्रकरण में ही विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संख्या 519 से 521/2008/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.1.1.2012 को राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय उद्धरित करते हुए बताया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि प्रत्यर्थी फर्मो द्वारा निष्पादित प्रोसस्ड अजवाईन/अजवाईन पाउडर की अन्तरप्रान्तीय बिक्री पर कर से छूट प्राप्त है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीले स्वीकर करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एव अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2010 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड, अपीलाधीन आदेश एवं राजस्थान यकर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय, जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत किया गया है, का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष अपीलों की सुनवाई के समय प्रस्तुत की गई बहस के पश्चात पाया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में हल्दी,धनियॉ, मिर्च, पाउडर, अजवाईन प्रासेसिंग तथा मेहन्दी पाउडर के उद्यमी के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जारी किये गये अभिशंषा पत्रों में अपीलार्थी व्यवहारी को अनाज दाल प्रबोधन (मसाला पिसाई) उद्योग के रूप में पंजीकृत करते हुए कर मुक्ति की अभिशंषा की गई है, जिससे अभिप्रेत है कि उसे प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में स्वीकार गया है ना कि निर्माणकर्ता और अपीलार्थी द्वारा अनाज दालों का प्रोसेसिंग कार्य किया जाना। सशक्त अधिकारी द्वारा ने अजवाईन की बिक्री पर पर करारोपण, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण यह मानकर किया है कि उसके द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से अजवाईन क्रय की जाकर

सीधी बेच दी गई है। किन्तु अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई अजवाईन का सीधे विक्रय किया गया है अथवा उसकी प्रोसेसिंग की गई का प्रमाण पत्र/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने नियमानुसार जांच करने के पश्चात पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी प्रकरण में सम्बन्धित वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 सम्बन्धित प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2006 के द्वारा सृजित की गई मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2007 पारित किया था,जिसके विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड में अपील संख्या 519 से 521/2008/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 को राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय उद्धरित करते हुए बताया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि प्रत्यर्थी फर्मो द्वारा निष्पादित प्रोसस्ड अजवाईन/अजवाईन पाउडर की अन्तरप्रान्तीय बिक्री पर कर से छूट प्राप्त है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए उनकी पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की गई हैं।

8. प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई अजवाईन का सीधे विक्रय किया गया है अथवा उसकी प्रोसेसिंग की गई का प्रमाण पत्र/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने नियमानुसार जांच करने के पश्चात पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पश्चात कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित पालना करना सुनिश्चित करना चाहिए था । यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना की जा चुकी है, उन पर कोई इस आदेश का प्रभाव नहीं पडेगा, और यदि प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कोई आदेश सशक्त अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है तो राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में अपील संख्या 519 से 521/2008/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 के प्रकाश में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

9. फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य